287

सं0 368 /XXIV(1)/2015–11/2014 टी0सी0

प्रेषक,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) **देहरादून : दिनाँक: 12 मार्च, 2015**

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत केन्द्रांश की प्राप्त द्वितीय किस्त के साथ राज्यांश जोड़कर कुल धनराशि (राज्यांश + केन्द्रांश) अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/2244/लेखा–2/केन्द्रांश–राज्यांश/2014–15 दिनांक 03.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. 10-3/2014-EE.14 दिनांक 27.02.2015 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 7000.00 लाख के दृष्टिगत रू0 10769.23 लाख (केन्द्रांश व राज्यांश) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 7000.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो जाने के दृष्टिगत विभागीय आय–व्ययक में धनराशि उपलब्धता की सीमा में संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार राज्यांश सहित अनुदान–11 (सामान्य) में रू0 6223.42 लाख, अनुदान सँ0 30(एस0सी0 एस0पी0) में रू0 1697.38 लाख एवं अनुदान सँ0 31(टी0एस0पी0) में रू0 511.74 लाख अर्थात् में कुल रू0 84,32,54,000–00 **(रूपये चौरासी करोड़ बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यो तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति में दी गयी शर्तो/प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.3.2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूँजीगत

..2/....

परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने से पूर्व नियमानुसार आगणन की स्वीकृति सहित वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(8) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(10) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना, मानकों तथा शर्तो की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

03– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा, के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सॅ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डी0 सेंथिल पाण्डियन)
सचिव

...3/....

सं0 (i)/XXIV(1)/2015–11/2014 टी0सी0 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबरॉय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/,105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनुसचिव।

शासनादेश सं0–368 / XXIV(1)/2015-11/2014 TC दिनाँक 12-03-15 संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक		आय–व्ययक 2014–15 में कुल प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2014–15
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0104	सर्व शिक्षा अभियान(35 प्रतिशत राज्यांश)		
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	3223768	622342
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)–आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	750490	169738
अनुदान संख्या–31 आयोजनागत			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
800	अन्य व्यय		
01	केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ		
0101	सर्व शिक्षा अभियान		
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	256300	51174
	योग	**4230558**	**843254**

(रूपये चौरासी करोड़ बत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव